

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)अपील प्रकरण संख्या 12/42/2021प्रवेश तिथि 07.06.2021

अपीलार्थी
 श्री गौरीशंकर शर्मा
 पुत्र श्री जयदयाल
 गाँव-बिंझपुर पोस्ट परतापुर
 जिला अलवर
 पिन:- 301701

बनाम

प्रत्यर्थी
 राज्य लोक सूचना अधिकारी
 एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
निर्णय

दिनांक: 08.07.2021


1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन-पत्र दिनांक: 07.04.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को उनके कार्यालय से मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी प्रस्तुत प्रा0पत्र से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति/सूचना उपलब्ध कराने बाबत अनुरोध किया गया था।
4. आवेदक को प्रश्नगत RTI आवेदन में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना-पत्र दिनांक: 29.05.2021 जो कि इस कार्यालय को दिनांक 07.06.2021 को प्राप्त हुई, के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांक: कोर्ट/ए.डी.एम. प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2021/346 दिनांक: 07.06.2021 के माध्यम से तलब कर दिनांक: 17.06.2021 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया, तत्पश्चात् पत्र सं. 367 दिनांक: 17.06.2021, 380 दिनांक 24.06.2021 एवं 383 दिनांक 01.07.2021 के माध्यम से बार-बार स्मरण-पत्र जारी कर सूचना/जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित किए जाने उपरान्त भी प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से प्रकरण में निर्णय दिनांक तक ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस/प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ और ना ही अपील प्रकरण में सुनवाई हेतु कोई उपस्थित हुआ। अपीलार्थी भी उपस्थित नहीं आया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
 अलवर (राज0)

P.T.O.

(2)

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक: 07.04.2021 पर अधिनियम की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में या उसके बाद एवं प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दायर करने के बावजूद भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गम्भीर नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में आदिनांक तक कोई जवाब/प्रत्युत्तर/प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं की गई है और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ज में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई गई अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में बार-बार जारी नोटिसों के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मूल भावना, प्रावधान एवं उद्देश्यों के प्रतिकूल है एवं उक्त अधिनियम की ठोस अनुपालना के प्रति प्रत्यर्थी विभाग की उदासीनता का परिचायक है।
7. अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 07 दिवस में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन-पत्र दिनांक: 07.04.2021 में वांछित सूचना, उनके अभिलेख पर उपलब्धतानुसार निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जावे।
8. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसरण में अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे एवं इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, सुनिश्चित करें।
9. आज दिनांक: 08.07.2021 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित ।


अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)